

कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड म0 प्र0

// क्रय आदेश //

क्रमांक / क्यू / 3 / रा0 ले0

प्रति,

713

भिण्ड दिनांक 13/1/11

महाप्रबंधक,

म0 प्र0 पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित
बुरहानपुर म0 प्र0

विषय :- कोटवार वर्दियों के प्रदाय किये जाने के संबंध में ।

इस कार्यालय द्वारा म0 प्र0 भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 -ब-के अंतर्गत आपकी संस्था से कोटवारों को सिलीसिलाई वर्दियों के कय किये जाने का निर्णय आपकी दर सूची को दृष्टिगत रखते हुवे लिय गया है । अतः आप निम्न मापानुसार एवं मापदण्डानुसार तैयार वर्दियां नीचे दर्शित शर्तों के अनुरूप प्रदाय करें ।

| क्र | विवरण | मध्यम क्वालिटी | | | | | | महिला पेटीकोट |
|-----|------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-----------------|--------|------------------------------|
| | | पेन्ट | | शर्ट | | टोपी | | |
| | | साईज | संख्या | साईज | संख्या | विवरण | संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | वर्दी कोटवार पुरुषों के लिये | 34 नंबर | 800 | 40 नंबर | 800 | टोपी अस्तर सहित | 1058 | |
| | | 36 नंबर | 258 | 42 नंबर | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 44 नंबर | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | महिला कोटवारों के लिये | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | स्टैंडर्ड साइज कुल संख्या 62 |
| | योग:- | | 1058 | | 1058 | | 1058 | 62 |

शर्तें:-प्रदाय की जाने वाली कोटवार वर्दियां पूर्ण रूप से सिली होनी चाहिये ।


2-कोटवारों को प्रदाय की जाने वाली वर्दियां उपरोक्त आदेश दिनांक से 45 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से प्रदाय की जाना होगी । समयावधि में वर्दियां प्राप्त न होने की दशा में आदेश निरस्त की कार्यवाही की जावेगी ।

3-स्वीकृत नमूने के अनुसार गुणवत्ता शासन मापदण्डानुसार होनी चाहिये । वर्दी के कपडे के दिये गये सैंपल में भिन्नता होने पर वर्दियां तत्काल वापिस की जावेगी ।

4-स्वीकृत नमूने के अनुसार क्वालिटी शासन मापदण्डानुसार एवं वर्दियों की सुपुर्दगी जिला कार्यालय के प्रभारी राजस्व लेखा शाखा में भौतिक सत्यापन के पश्चात प्रदाय की जावेगी ।

5- उपरोक्त कार्य में वर्दियों का कय शासन नियमानुसार 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्भूमियों / विक्रेताओं / इकाईयों / संस्थाओं / उत्पादकों से कय किया जाना अनिवार्य होगा इस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे । जिससे भंडार क्रय नियमों का पालन किया जा सके ।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)


अपर कलेक्टर
जिला भिण्ड

O/C